यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अ धकारी बाल वकास पथौरागढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अ धकारी बाल वकास पथौरागढ़ के माह 05/2016 से 10/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस॰एस॰ राणा AAO श्री र व शंकर **AAO** एवम श्री वजय कुमार वरि0ले0प0 द्वारा दिनांक 06/11/2017 से 17/11/2017 तक श्री एस0के0 जौहरी लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. <u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री संदीप कुमार गर्ग AAO तथा श्री अश्विनी कुमार पांडेय AAO, श्री दिनेश कुमार नरवरिया, ऑ डटर द्वारा दिनांक 30/05/2016 से 09/06/2016 तक श्री प्रेमचन्द्र लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 12/2014 से 04/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2016 से 10/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः .आगंबाड़ी केन्द्रो के माध्यम से लाभा र्थयो को **1**-अनुपूरक पोषाहार **2**-स्वास्थ्य परीक्षण **3**-संदर्भ सेवाए **4**-प्रतिरक्षण टीकाकरन **5**-पोषण एवम स्वास्थ्य शक्षा 6-स्कूल पूर्व शक्षा (प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवम शक्षा)। समस्त पथौरागढ़ जनपद।

(ii) (इकाई द्वारा संचा लत योजनाओं सहित क्रयाकलाप तथा भौगो लक अ धकार क्षेत्र बताया जाय)

(अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रू॰ लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	00	00	145.95	79.25	2266.32	2163.67	00	169.35
2015-16	00	00	42.26	41.72	245.16	212.54	00	33.16
2016-17	00	00	30.51	24.92	202.97	169.92	00	38.64
2017-18 10/2017 तक	00	00	20.57	17.66	4.44	2.40	00	4.95

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम।	प्रारम्भिक अवशेष`	प्राप्त `	व्यय	अ धक्य (+)	बचत(-)
2014-15	आई॰सी॰डी॰एस॰ का संचालन/ क्रयान्व्यन	00	217.00	203.40	00	13.6
	आगनवाडी केंद्र की अवसंरचना सु वधा	00	32.14	20.13	00	12.01
	राज्य/जिला' परियोजना स्तर मशन ई0सी0सी0ई0	00	11.61	11.57	00	0.04
	आई॰सी॰डी॰एस॰ के अंतर्गत एससी बाहुल्य ग्रामो मे आगनवाड़ी केन्द्रो का संचालन	00	52.00	44.47	00	7.53
	आगनवाडी केंद्र भवनो का धनआवंटन(GEN)	00	157.50	00	00	157.50(PLA)
	आगनवाडी केंद्र भवनो का धनआवंटन(एससी)	00	45.00	00	00	45.00(PLA)
	आगनवाडी केंद्र भवनो का धनआवंटन(एसटी)	00	705.50	00	00	705.50(PLA)
	आगनवाड़ी कार्यकत्रि/सहायिका/ मनी कार्यकत्रि प्र शक्षण	00	44.5	39.84	00	4.66
2015-16	आगनवाड़ी कार्यकत्रि/सहायिका/ मनी कार्यकत्रि प्र शक्षण		37.25	34.19		3.06
	आगनवाडी केंद्र भवनो का धनआवंटन(एसटी)		1.84	0.24		1.6
	आगनवाडी केंद्र भवनो का धनआवंटन(GEN)		14.00	11.47		2.53
	आई॰सी॰डी॰एस॰ के अंतर्गत एससी बाहुल्य ग्रामो मे आगनवाड़ी केन्द्रो का संचालन		7.3	1.18		6.12
	सूचना शक्षा प्रचार प्रसार		8.00	2.98		5.02
	राज्य/जिला' परियोजना स्तर मशन ई0सी0सी0ई0		11.65	11.26		0.39
	मे ड सन कटस ढुलान		0.5	.49		.01
2016-17	आगनवाड़ी कार्यकत्रि/सहायिका/ मनी कार्यकत्रि प्र शक्षण		9.58	9.20		0.38
2017-18 (10/2017)	00		00	00		00

(ii) इकाई को बजट आवंटन (राज्य एवं केंद्र) द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई केंद्र से धनरा श प्राप्त करता है तथा सी श्रेणी (जिस श्रेणी के अन्तर्गतइकाई आती है, उसे इं गत कया जाय) की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1- .....स चव.....**2.** .....निदेशक.....**3-** ....डी0पी0ओ..... **4-**

(संगठनात्मक ढांचा स चव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रद र्शत कया जाय)

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में जिला कार्यक्रम अ धकारी.बाल वकास, पथौरागढ़ (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अं कत कया जाय) को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अ धकारी बाल वकास पथौरागढ़ (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अं कत कया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह**–12/206** एवं को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। नन्दा...देवी योजना**,** वृद्ध महिला पोषण**,** टीएचआर/कूक्ड फ़ूड**,RUTF,** कशोरी शक्ति योजना

(जिस योजना का चयन कया गया उसका नाम अं कत कया जाय) का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन लागत एवं व्यय राशि तथा कार्य की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर चयन किया गया। (प्रतिचयन व ध का नाम अं कत कया जाय) के आधार पर कया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II'अ'

(इस भाग में निय मतता से संबं धत मामले/ व शष्ट वषयों के मामले एवं औ चत्य से संबं धत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मि लत कये जांय)

शून्य

भाग-II'ब'

(इस भाग में निय मतता तथा औ चत्य दोनों से संबं धत प्रासं गक लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मि लत होंगे। यदि सम्भव हो, तो लेखापरीक्षा निष्कर्षों को उनके महत्व तथा व शष्टता के आधार पर घटते क्रम में बनाया जाय

1- ब्याज प्रप्ति की धनरा श रू॰ 36,55,915/- को राजकोष मे जमा न करना।

2- नन्दा देवी कन्या योजना के अंतर्गत अनिय मत भुगतान के परिणामस्वरूप रू॰ 4.05 लाख की हानि।

3- नवीन आगनवाडी केंद्र भवनो के निर्माण एवं पुराने आगनवाड़ी केंद्र भवनो के उच्चीकरण के कार्य को अपूर्ण रखते हुये रू॰ 225.35 लाख धनरा श कों अवरूद्ध रखा जाना।

4-RUTF योजना के निर्देशों के अनुपालन मे उदासीनता के चलते योजना के उद्देश्यों का वफल रहना।

1. स्टैन- रू॰ 2.20 लाख की धनरा श को अवरुद्ध रखते हुये कशोरी शक्ति योजना के लाभ से लाभा र्थयो को वं चत रखना।

भाग -दो (ब)

प्रस्तर **1:-** ब्याज प्राप्ति **₹ 36,55,915/-**की धनरा श राजकोष में जमा न कया जाना ।

उत्तराखंड शासन के वत्त वभाग के शासनादेश संख्याः U.O. 18/XXVII(6)-टी. सी. ए. 934-2014, दिनाँक 21.04.2017 तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल वकास अनुभाग के आदेश संख्याः 610/XVII(4)/2017-2(8)2017, दिनांक 26.04.2017 के अनुसार प्रशासनिक वभागों द्वारा परियोजनाओं हेतु धनरा श बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित कया जाता है और उक्त ब्याज की धनरा श राजकोष में जमा न करते हुए प्रयोग में लया जा रहा है। यह एक घोर वत्तीय अनियम मतता है तथा निर्दे शत कया है की जितने भी बैंक खाते है उनमें अर्जित ब्याज की पुष्टि करते हुए तत्काल उक्त धनरा श राज्य सरकार के सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कराया जाय।

इसके अतिरिक्त उत्तराखंड शासन शासनादेश संख्या:99/XXVII(14)/2009 दिनाँक 03.09.2009 द्वारा भी निर्दे शत कया गया था क यदि कसी व शष्ट कारणों के कारण समे कत नि ध से आहरित धनरा श का उपयोग न कया जा सके तथा उस पर ब्याज अर्जित हो तब इस प्रकार अर्जित धनरा श राजकोष में लेखाशीर्षक -0049-ब्याज प्राप्तियाँ, 04 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियाँ, 800 अन्य प्राप्तियाँ, 12-अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियों में जमा कया जाय।

जिला कार्यक्रम अ धकारी, पथौरागढ़ के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया क इकाई द्वारा पदनाम बैंक खातों में व भन्न योजनाओं की जमा धनरा शयों पर कुल ` 36,55,915/- (सूची संलग्न) का ब्याज अर्जित कया गया था जो लेखापरीक्षा ति थ (नवम्बर 2017) तक बैंक खाते में ही पड़ा था । उक्त शासनादेशों के अनुपालन में प्राप्त ब्याज की धनरा श राजकोष में जमा कया जाना अपे क्षत था परंतु इकाई द्वारा लेखापरीक्षा ति थ (नवम्बर 2017) तक उक्त ब्याज की धनरा श राजकोष में जमा नहीं की गई थी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया क नियमों की जानकारी के अभाव में ब्याज की धनरा श जमा नहीं की जा सकी जिसे यथा शीघ्र जमा करा दिया जाएगा।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आप त्त की पुष्टि करता है। अत ` 36,55,915/- की ब्याज की धनरा श राजकोष में जमा न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

जिला कार्यक्रम अ धकारी, पथौरागढ़।

बैंक खाता संख्या: **0768104000069605**.

ति थ	प्राप्त ब्याज की धनरा श (` में)
31.03.2016	348238=00
25.06.2016	815744=00
24.09.2016	568182=00
24.12.2016	504213=00
25.03.2017	448062=00
24.06.2017	371605=00
23.09.2017	305900=00
योग -	**3361944=00**

बैंक खाता संख्या: **0768104000070294.**

ति थ	प्राप्त ब्याज की धनरा श (` में)
31.03.2016	52800=00
25.06.2016	144794=00
24.09.2016	1971=00
24.12.2016	1990=00
25.03.2017	6391=00
24.06.2017	2074=00
23.09.2017	2094=00
योग -	**212114=00**

जिला कार्यक्रम अ धकारी, पथौरागढ़।

बैंक खाता संख्या: **4321153975**.

ति थ	प्राप्त ब्याज की धनरा श (` में)
30.06.2016	22726=00
30.09.2016	11717=00
31.12.2016	11835=00
31.03.2017	11694=00
30.06.2017	11941=00
30.09.2017	11944=00
योग -	**81857=00**

भाग -दो (ब)

प्रस्तर **2:-** नन्दा देवी कन्या योजना के अंतर्गत अनिय मत भुगतान के परिणाम स्वरूप रु **4.05** लाख की हानि तथा रु **6.30** लाख का संदिग्ध भुगतान।

राज्य सहायतित नन्दा देवी कन्या योजना का लाभ राज्य के उन समस्त निवा सयो को जिनके परिवार मे 01 जनवरी 2009 के बाद दो जी वत बा लकाओ ने जन्म लया हो तथा वे इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की समस्त शर्ते पूरी करते हो चाहे इसके पूर्व उनकी अन्य जी वत संताने भी हो को दिया जाना है। उक्त योजना के अंतर्गत रु 15000/- की धनरा श तीन कस्तों मे प्रदान की जानी है।

योजना के दिशानिर्देशों मे स्पष्ट रूप से उल्ले खत है क बाल वकास परियोजना अ धकारी द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन पत्रो की गहनता पूर्वक जांच की जाए एवं उसके बाद जनपद स्तरीय स मति के सम्मुख स्वीकृति हेतु ज़िला कार्यक्रम अ धकारी को प्रस्तुत कया जाए। स्वीकृत लाभा थयो क सूची की जांच मे पाया गया क स्वीकृत आवेदन पत्रो क जांच ठीक से नहीं क गयी थी। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु 27 आवेदको द्वारा प्रस्तुत जन्म प्रमाण पत्र उनकी जन्मति थ से पूर्व जारी कए गए थे जो क जांच का बिषय था एवं इस आधार पर उक्त आवेदक योजना के लाभ हेतु अपात्र थे जब क इन आवेदको को पात्र मानकर धनरा श का भुगतान कया गया था इस प्रकार 27 लाभा थयों को कया गया रु 4.05 लाख (15000/- प्रति) का भुगतान अनिय मत था । परिणामस्वरूप वभाग को रु 4.05 लाख की हानि हुई । इसी प्रकार 42 लाभा थयो के जन्म प्रमाण पत्र मे प्रमाण पत्र जारी करने की ति थ अं कत नहीं थी पर तथ्यो की जांच कए बगैर उनको लाभान्वित करते हुए रु 6.30 लाख का संदिग्ध भुगतान कया गया ।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे आप त्त कए जाने पर वभाग ने अपने उत्तर मे बताया क आवेदन पत्रो की जांच संबन्धित बाल वकास परियोजना स्तर पर की जानी थी जिसका संकलन जिला कार्यक्रम अ धकारी कार्यालय द्वारा कया गया, उक्त प्रकरणो की जांच की जाएगी तथा अनि मयतता पायी जाने की स्थिति मे संबन्धित लाभा थयो से वसूली की जाएगी। वभाग का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आप त्त की पुष्टि करता है

अतः रु 4.05 लाख की वभागीय हानि तथा रु 6.30 लाख के संदिग्ध भुगतान का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

भाग -दो (ब)

प्रस्तर **3:-** नवीन आंगनवाडी केंद्र भवनो के निर्माण एवं पुराने आंगनवाड़ी केंद्र भवनो के उच्चीकरण के कार्य को अपूर्ण रखते हुए रु **225.35** लाख की धनरा श को अवरुद्ध रखा जाना।

जिला कार्यक्रम अ धकारी, पथौरागढ़ के लेखा अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया की भारत सरकार द्वारा वत्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद पथौरागढ़ में 200 नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण एव 08 पुराने आंगनवाड़ी केंद्र भवनों के उच्चीकरण कार्य हेतु रु 908.00 लाख (रु 4.50 लाख प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण हेतु एव रु 1.00 लाख प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र के उच्चीकारण कार्य हेतु) की धनरा श अवमुक्त करते हुए व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस संबंध मे निदेशालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्दे शत कया गया था क निर्माण कार्य वत्तीय वर्ष 2014-15 में पूर्ण कर लए जाए। आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण गुणवत्ता पूर्ण एव समय सीमा में ही हो इसके लए संबन्धित जिला कार्यक्रम अ धकारी /बाल वकास परियोजना अ धकारी उत्तरदाई बनाए गए थे। धनरा श फरवरी 2015 मे जारी होने के कारण इस धनरा श को सी डी ओ /डी एम के पी एल ए खाते मे रखा गया तथा इसके बाद जनवरी 2016 मे उक्त धनरा श को वभागीय खाते मे डाला गया। उल्लेखनीय है क 200 नवीन आंगनवाड़ी केन्द्र भवनो के सापेक्ष 195 केन्द्रो का चयन कर धनरा श जारी की गयी जब क शेष 5 केन्द्रो का चयन धनरा श निर्गत होने के ढाई वर्ष (30 माह) की अव ध के बाद अति थ तक नहीं कया गया था, इसी प्रकार उच्चीकारण हेतु प्रस्ता वत 8 केन्द्रो का चयन भी लेखापरीक्षा ति थ तक नहीं कया गया था एवं यह धनरा श (30.50 लाख)* इकाई के खाते मे अवरुद्ध रखी गयी थी। अ भलेखो की लेखापरीक्षा मे पाया गया क उक्त धनरा श मे से 50% धनरा श (4,38,75,000) माह मई /जून 2016 मे ग्रामपंचायत के खाते मे डाली गयी इसके अतिरिक्त दूसरी कश्त के रूप मे 40% धनरा श (रु 2,41,20,000) 134 निर्माण केन्द्रो को जारी की जा चुकी थी। धनरा श जारी होने के 15-16 माह की अव ध बीत जाने के बाद भी लेखा परीक्षा ति थ तक मात्र 6 भवनो का ही निर्माण कार्ये पूर्ण कया गया था जब क अवशेष 189 केन्द्रो का निर्माण कार्ये अपूर्ण था। जिस कारण रु 225.35 लाख की धनरा श इकाई के खाते मे अवरुद्ध थी।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया क उक्त धनरा श निर्माण कार्ये से संबन्धित है जिसे केन्द्रो के पूर्ण होने की सूचना पर कश्तों मे जारी कया जाना है। निर्माण कार्यो हेतु मनरेगा से डबटे लंग मे हुई देरी से निर्माण कार्यो के पूर्ण होने मे बिलंब हो रहा है। कार्यो को शीघ्र पूर्ण कए जाने के संबंध मे निर्देश जारी कए जा रहे है। तकनीकी कारणो के आधार पर 5 केन्द्रो का निर्माण संभव नहीं हो पा रहा है इस संबंध मे निदेशालय को अवगत कराया जा रहा है। 08 भवनो के उच्चीकरण का कार्य शीघ्र ही आरंभ कया जाएगा। इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आप त्त की पुष्टि करता है अतः नवीन आंगनवाडी केंद्र भवनो के निर्माण एवं पुराने आंगनवाड़ी केंद्र भवनो के उच्चीकरण के कार्य को अपूर्ण रखते हुए रु 225.35 लाख की धनरा श को अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग -दो (ब)

प्रस्तर 4:- RUTF योजना के निर्देशो के अनुपालन में उदासीनता के चलते योजना के उद्देश्यों का वफल रहना।

शासनादेश स॰ 81/XVII (4) 2017-एस (126)/2016, दिनांक 12/01/2017 के अंतर्गत राज्य के समस्त कुपोषित बच्चो हेतु RUTF (Ready to use Therapeutic Food) के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश जारी किया गये, जिसके अनुसार अतिकुपोषित बच्चो को ऊर्जा नामक खाद्यान सामग्री को आगनवाड़ी केन्द्रो पर वितरित किया जाएगा तथा यह पूर्व मे आवंटित किए जाए वाले THR से अतिरिक्त होगा। प्रथम चरण मे यह अतिकुपोषित बच्चो को खिलायी जायेगी। 06 माह से 01 वर्ष आयु के बच्चो को दिन मे 02 बार, 50ग्राम प्रतिदिन खिलायी जायेगी। माह मे 25 दिवसो हेतु 01 बच्चे को 1.250 किलोग्राम की आवशयकता होगी जिस परव्यय रू॰ 136.25 होगा। इसके अलावा प्लास्टिक के डिब्बे व चम्मच सहित व्यय रू॰ 251.25 होगा। इसी प्रकार 01 वर्ष से 06 वर्ष आयु के बच्चो को दिन मे दो बार, 100 ग्राम प्रतिदिन खिलायी जायेगी। प्रतिमाह मे 25 दिवसों हेतु 01 बच्चे को 2.50 किलोग्राम की आवश्यकता होगी, जिस पर व्यय रू॰ 272.50 होगा।प्लास्टिक के डिब्बे व चम्मच सहित व्यय रू॰ 387.50 होगा। अतिकुपोषित बच्चो को सामान्य श्रेणी मैं आने के बाद दो माह तक ऊर्जा को खिलाया जाना है। इस प्रकार कुल 3 माह ऊर्जा खाद्यान खिलाया जाना है। जनपद मे ऊर्जा तैयार करने हेतु स्वयं सहायता समूह का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। योजना हेतु निदेशालय आईसीडीएस, उत्तराखंड के पत्र स॰2391/बजट-4073/2016-17, दिनांक 17/01/2017 द्वाराजिला **कार्यक्रम अधिकारी,बाल विकास, पिथरागढ़** को RUTF योजना के क्रियान्वयन हेतु रू॰ 16800/- आवंटित किए गये थे।

इकाई के RUTF से संबन्धित अभिलेखो की संवीक्षा मैं पाया गया कि इकाई द्वारा जनपद मे 06 माह से 05 वर्ष तक के 12 अतिकुपोषित बच्चो को चिन्हित किया , जिसमे से एक बच्चा 06 माह से 1 वर्ष कि आयु का था , शेष 11 बच्चे 1 वर्ष से 5 वर्ष तक कि आयु के थे। इन बच्चो को मार्च 2017 मे कुल रू॰ 4901.25 की एक बार ऊर्जा खाद्य सामग्री प्रदान कि गयी, शेष धनराशि को समर्पित का दिया गया जबकि RUTF के दिशानिर्देशानुसार बच्चो एक बार ऊर्जा खाद्य सामग्री देने के पश्चात अगले दो माह तक भी ऊर्जा खाद्य सामग्री देना था जिससे कि बच्चे अतिकुपोषण से पूरी तरह मुक्त हो सके। अभिलेखो मे पाया गया है कि एक माह ऊर्जा खिलाने के पश्चात अतिकुपोषण से मुक्त बच्चो की संख्या शून्य है। इस प्रकार तीन माह तक ऊर्जा खाद्य सामग्री न खिलाया जाना योजना के उद्देश्यों के उद्देश्यों को विफल करता है।

इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे बताया गया कि योजना हेतु बजट जनवरी माह के अंत मे प्राप्त /जारी होने के कारण तथा योजना की कार्यवाही मे समय लगने के कारण मार्च माह मे प्रथम बार RUTF दिया गया। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि RUTF योजना के निर्देशानुसार अतिकुपोषित बच्चो को एक माह 'ऊर्जा' पोषक तत्व खिलाने के पश्चात, अगले दो माह तक 'ऊर्जा' पोषक तत्व खिलाया जाना था, जिससे अतिकुपोषित बच्चे, अतिकुपोषण से मुक्त हो सके। परन्तु इकाई योजना के निर्देशों का अनुपालन करने मे असफल रही, जिससे चयनित 12 अतिकुपोषित बच्चे, अतिकुपोषन से मुक्त नहीं हो सके। इकाई द्वारा तीन बच्चो के अतिकुपोषण से मुक्त होने के सम्बन्ध कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किया, साथ ही अगले दो माह हेतु बच्चो को 'ऊर्जा' पोषक तत्व प्रदान करने के सम्बन्ध मेकोई प्रयास नहीं किया गया।

प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **1:- ₹ 2.20** लाख की धनरा श को अवरूद्ध रखते हुए कशोरी शक्ति योजना के लाभ से लाभा र्थयों को वंचति रखना।

निदेशालय आई॰ सी॰ डी॰ एस॰ उत्तराखंड, देहारादून के पत्र स॰ सी॰-2846 /बजेट-4073/2016-17, दिनांक 27.02.2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 मे किशोरी शक्ति योजना का संचांलन हेतु इकाई को रू॰ 2,20,000/- आवंटित किये गये जिसमे कार्ययोजना संलगन कर निर्देश दिये गये थे कि कार्ययोजना के अनुसार अपने जनपद मे जिला स्तरीय कमेटी के गठन कि कार्यवाही पूर्ण करते हुए कार्ययोजना के अनुसार गतिविधिया प्रारम्भ करना सुनिश्चित करे एवं प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध कराये।

कार्ययोजना के अनुसार किशोरियों को व्यवसायिक कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जायेगा इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर सिलाई, कढ़ाई, पोषण से संबन्धित व्यवसायो, इत्यादि कि जानकारी भी दी जायेगी। किशोरियों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण, किशोरी दिवस /स्वास्थ्य दिवस के आयोजन मे ए॰एन॰एम॰ के द्वारा प्रत्येक किशोरी का वजन लेकर एवं हीमोग्लोविन का परीक्षण किया जाएगा एवं आई॰एफ़॰ए॰की 100 टबलेट के साथ अल्बेण्डजल कि एक गोली वितरण /सेवन हर 6 माह मे सुनिश्चित किया जाएगा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, पिथोरागढ़, के वर्ष 2016-17 के किशोरी शक्ति योजना से संबन्धित अभिलेखो की संवीक्षा मैं पाया गया कि 27 फरवरी, 2017 मे आवंटित रू॰ 2,20,000/- की धनराशि को मार्च, 2017 मे उत्तराखंड शासन की अनुमति से मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़ के पी॰एल॰ए॰ खाते मै रखा गया (29.3.2017) जिसकी अनुमति शासन द्वारा इस शर्त के साथ दी गयी थी कि phased manner मैं वित्त विभाग कि सहमति से ही धनराशि का आहरण किया जायेगा। आगे अभिलेखो कि संवीक्षा मे पाया गया कि आतिथि तक उक्त धनराशि को पी॰एल॰ए॰ खाते से आहरित कर किशोरी शक्ति योजना को क्रियान्वित नहीं किया गया, जिससे किशोर शक्ति योजना से मिलने वाले व्यवसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण तथा आई॰एफ़॰ए॰ टैब्लेट से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ से लाभार्थी वंचित है। इस प्रकार विभागीय उदासीनता के चलते आतिथि तक किशोरी शक्ति योजना का क्रियान्वयन न हो सका तथा रू॰ 2,20,000/- की धनराशि विभाग के पास अवरुद्ध है।

इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे बताया कि धनराशि PLA खाते मे रक्षित है जिसके आहरण कि स्वीकृति शासन मे लंबित है। धनराशि के आहरण उपरान्त जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योकि 8 माह से अधिक कि अवधि बीत जाने के बाद भी धनराशि को phased manner मे, विभागीय उदासीन के चलते आहरित नही किया गया और न ही जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। धनराशि के आहरण कि स्वीकृति शासन मे लंबित रहने के सम्बन्ध मे इकाई द्वारा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-III

(इस भाग में वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण निम्न प्रारूप में अं कत कया जाय)

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ'	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या
2016-17/34	शून्य	01,02,03
2014-15/126	शून्य	01,02

(इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा दल द्वारा वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप में दो प्रतियों में प्राप्त कर अपनी टीका सहित भाग-III के नीचे लगाकर निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ मूल रूप में संलग्न कर मुख्यालय को प्रे षत की जाय। मुख्यालय पर संबं धत क्षेत्र द्वारा अनुपालन आख्या वचारोपरान्त वर्गा धकारी को प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करते समय निस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में से हटा दिया जाय। मात्र अनिस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में रखा जाय)

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
वगत लेखा प्रस्तरों की अनुपालन आख्या इकाई द्वारा तैयार की जा रही थी, जिसे उच्च अ धकारियों की संस्तुति के पश्चात लेखा परीक्षा कार्यालय को भेजा जायेगा।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन कया जाय)

शून्य

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु.....जिला कार्यक्रम अ धकारी.बाल वकास पथौरागढ़..... तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

(ii) शून्य

(iii)

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

(ii)

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्रीमति रा धका हयङ् क	01.05.2016 से 19.12.2016
(ii)	श्री मुकुल चौधरी	19.12.2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति जिला कार्यक्रम अ धकारी बाल वकास पथौरागढ़... को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (संबं धत क्षेत्र का नाम) को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

सामाजिक क्षेत्र